

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

- प्रारंभिक अधिसूचना -

क. / 5353/भू-अर्जन / 202103050500002 अ 82 / 2025

कोरबा, दिनांक 25/04-2025

भूमि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और धारदक्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है -

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.नं.	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे. में)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	बरघाती	सेन्द्रीपाली 26	1099	0.010	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)	घिनारा व्यपवर्तन योजना का दायाँ तट नहर एवं माइनर नहर निर्माण
			1100	0.022		
			1103/2	0.020		
			1102	0.036		
			1205/1क	0.012		
			1223	0.061		
			1228/1	0.032		
			1207	0.133		
			1224/1	0.053		
			1225/1	0.030		
			1229	0.030		
			1309	0.049		
			1206	0.040		
			1208	0.053		
			1210/1	0.182		
			1209/1	0.020		
			1198	0.121		
			1212	0.040		
			1213/1	0.081		
			1244	0.032		
			1235	0.045		
			1242/2, 1243/1	0.081		
			1240	0.044		
			1239	0.020		
			1237	0.040		
			1260	0.121		
			1264, 1265, 1266	0.061		
			1293	0.121		
			1261	0.032		
			1262	0.032		
			1263/2	0.036		
			1263/3	0.036		
			1268/1	0.061		
			1268/2	0.045		
			1268/3	0.045		
			1277/1	0.045		
योग			36	1.922		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा जिला कोरबा के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अजीत वसंत)

कलेक्टर

जिला कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छ.ग.शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 25-04-2025

पृ. क./ 5354 / भू-अर्जन / 202103050500002 अ 82 / 2025
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
3. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा को उपलब्ध करावे।
4. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव छ.ग.की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग- 1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ.ग.शासन राजस्व विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. तहसीलदार करतला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत करतला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. सचिव, ग्राम पंचायत सेन्द्रीपाली जिला कोरबा को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करें।

(अजीत वसंत)

कलेक्टर

जिला कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छ.ग.शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू अर्जन अधिकारी
कोरबा, जिला-कोरबा